(ख) से (घ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली सर्वव्यापी स्वरूप की है और समूची आबादी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत लाभ पाने की हकदार है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सप्लाई अनुपूरक स्वरूप की होती है और इसका प्रयोजन किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की समूची मांग को पूरा करना नहीं होती है। इन कारणों से सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं का आबंटन मासिक आधार पर किया जाता है और ऐसा करते समय केन्द्रीय पूल में मौजूद भण्डार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की परस्पर आवश्यकताओं, मौसमजन्य कारणों तथा बाजार में उपलब्ध मात्रा को ध्यान में रखा जाता है। लेवी चीनी के मामले को छोड़कर, अन्य आबंटन आबादी के आधार पर नहीं किए जाते हैं। लेवी चीनी का आबंटन, 1-10-86 को अनुमानित आबादी के लिए सामान्यतया प्रति व्यक्ति प्रतिसाह 425 ग्राम मात्रा उपलब्ध कराने के एक समान मानदण्ड पर किया जाता है। अगस्त 1991 से केन्द्रीय सरकार ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को लेवी चीनी के आबंटन में 5% की तदर्थ वृद्धि की है।

बिजली उपकरणों का आई. एस. आई. चिन्ह के बिना उत्पादन

545. **श्री राम सिंह राठवा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्तमान में कई बिजली के उपकरणों का उत्पादन आई. एस. आई. चिन्ह के बिना ही हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस प्रकार के बिजली के उपकरणों के उत्पादन को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार ने निम्नांकित आदेश जारी किए हैं :—

(1) घरेलू बिजली के उपकरण (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 1981, जिसके तहत कई बिजली के उपकरण संगत भारतीय मानकों के अनुरूप होने आवश्यक हैं, और

(2) बिजली के उपकरण (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 1988, जिसके तहत कुछ बिजली उपकरणों के विनिर्माताओं के लिए यह आवश्यक है कि वे भारतीय मानक ब्यूरो से प्रमाणीकरण प्राप्त करें।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं का मूल्य

546. **चौधरी हरमोहन सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत मिलने वाली वस्तुओं के दाम बढ़ाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों में इन वस्तुओं का मूल्य कितना बढ़ाया गया है और कितनी बार बढ़ाया गया है; और

(ग) इस समय में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत बेची जाने वाली वस्तुओं का मूल्य कितना-कितना है?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (ग) चावल, गेहूं और मिट्टी के तेल की केन्द्रीय निर्गम कीमतों में एक बार 1990 में और एक बार 1991 में संशोधन किया गया था। जायातित खाद्य तेलों और लेवी चीनी की केन्द्रीय निर्गम कीमतों में एक बार 1991 तथा एक बार 1992 में संशोधन किया गया था। अन्य संशोधनों के साथ-साथ चालू कीमतें विवरण में दर्शाई गई हैं। **(सीधे देखिए)**

सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं का वितरण राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जाता है, जो उचित मार्जिन जोड़ कर अन्तिम खुदरा कीमतें तय करते हैं, जिसमें ढुलाई और अन्य व्यय शामिल होते हैं। संपृक्त सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत शामिल किए क्षेत्रों में राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को सलाह दी गई है कि इन क्षेत्रों के लिए जारी किए गए चावल तथा गेहूं की खुदरा कीमतों में केन्द्रीय निर्गम कीमतों से 25 पैसे प्रति किलो से अधिक वृद्धि नहीं होनी चाहिए।